

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांक :- 6/ज0गु0 - 101/2016 412 (गु0)पटना - 15, दिनांक :- 24/01/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ / नवादा / बाँका / जमुई।

विषय - वर्ष 2017-18 में राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों / बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (फ्लोराईड प्रभावित) निश्चय योजना के कार्य हेतु 5200.00 लाख रुपये (वावन करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति।

राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों / बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना हेतु विभागीय पत्रांक - 6/ग्रा0 ज0-1-101/16 - 691, दिनांक - 03/03/16 द्वारा 7439.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों / बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ प्रमण्डलवार विमुक्ति निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं की संख्या	विमुक्त राशि (लाख रुपये में)				शब्दों में
				सामान्य	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	जनजातीय क्षेत्र उप योजना	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कैमूर	भभुआ	25	128.00	60.00	12.00	200.00	दो करोड़ रुपये मात्र।
2	नवादा	नवादा	45	350.00	150.00	0.00	500.00	पाँच करोड़ रुपये मात्र।
3	बाँका	बाँका	400	1980.00	940.00	80.00	3000.00	तीस करोड़ रुपये मात्र।
4	जमुई	जमुई	200	680.00	750.00	70.00	1500.00	पन्द्रह करोड़ रुपये मात्र।
		कुल	670	3138.00	1900.00	162.00	5200.00	वावन करोड़ रुपये मात्र।

2. राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों / बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना हेतु सामान्य मद में 3138.00 लाख रुपये, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मद में 1900.00 लाख रुपये एवं जनजातीय क्षेत्र उप योजना मद में 162.00 लाख रुपये अर्थात् कुल 5200.00 लाख रुपये (वावन करोड़ रुपये) संबंधित कार्यपालक अभियन्ता को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन अन्तर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के नाम से संचालित बैंक खाता के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अन्तर्गत उक्त विमुक्त राशि को स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाय।

4. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। इस योजना के लिए कोई नये पद का सृजन नहीं किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

24/01/2018

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 412(MT0)

पटना, दिनांक :- 24/01/2018

प्रतिलिपि - सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव -सह- सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता, सासाराम / अधीक्षण अभियन्ता, गया / अधीक्षण अभियन्ता, भागलपुर / अधीक्षण अभियन्ता, मुँगेर / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) को आंतरिक 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0-1) / निदेशक, पी0एम0यू0 / निदेशक, सी0सी0डी0यू0 / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / प्रशाखा पदाधिकारी - 4 / 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन अन्तर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के नाम से संचालित बैंक खाता के राशि से राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों / बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना हेतु संबंधित कार्यपालक अभियन्ता को स्तम्भ-8 में अंकित राशि से बैंक खाते के माध्यम से विमुक्त की जाय।

24/01/2018

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव